

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आर्दोएल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाच की गई। जिसके अनुसार

प्रार्थी के पत्तन 2 (लोक, कान्हापुर, राजस्थान) के प्रार्थी का नाम शिवनाथ पुत्र सुरेश के नाम से रिपोर्ट प्रेषित है।

श्रीमान्जी, रिपोर्ट पटवारी अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक राजस्व / 2020 /

दिनांक :- 12.10.21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी मन्देश, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमानानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशाप की जाती है / की जाती है।

21.10.21
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	शांशाडिमी की टांगी	2075-78	106 4 216	शिवनाथ पुत्र सुरेश	शिवनाथ पुत्र सुरेश (राज)

नोट :- शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जावे।

24.10.21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

राजस्व / 2020 / 64-65

दिनांक :- 14/10/21

तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।

प्रार्थी / प्रार्थीया शिवनाथ पुत्र सुरेश राव को सूचनार्थ।

24.10.21
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी (झुंझुनू)